विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 214

परिशिष्ट

1. **फल क्षेत्र योजना :–** योजनान्तर्गत आम, अमरूद, नींबू, संतरा, मौसम्बी, मुनगा, बेर, चीकू एवं अंगूर के पौधो का रोपण 0.25 हेक्टर से अधिकतम 4.00 हेक्टर तक में लगाने पर निर्धारित इकाई लागत की 40 प्रतिशत अनुदान राशि तीन वर्षो में 60:20:20 के अनुपात में क्रमशः 75–90–100 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर चयनित हितग्राही को देय है।

2. **सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना :–** योजनान्तर्गत सब्जी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टर से 2.00 हेक्टर का लाभ चयनित हितग्राही ले सकेगा। प्रति हेक्टर सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000/– रूपये एवं कंद वाली फसले आलू, अरबी आदि बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/– तक का अनुदान देय है।

3. **मसाला क्षेत्र विस्तार योजना :–** योजनान्तर्गत मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टर से 2.00 हेक्टर का लाभ चयनित हितग्राही ले सकेगा। बीज मसाला फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत और अधिकतम 10000/– रूपये प्रति हेक्टर जो भी कम हो अनुदान देय होगा। जड एवं कंद जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन की खेती करने पर बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/– रूपये जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

4. **संरक्षित खेती :–**

(अ) पॉलीहाउस :– केन्द्र/राज्य पोषित योजनान्तर्गत पालीहाउस/प्लास्टिक टनल आदि के निर्माण पर निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रति हितग्राही को अनुदान देय है।

500 वर्गमीटर तक 1060 रूपये प्रति वर्गमीटर, 500 से 1008 वर्गमीटर तक 935 रूपये प्रति वर्गमीटर, 1008 से 2080 वर्गमीटर तक 890रूपये प्रति वर्गमीटर एवं 2080 से 4000 वर्गमीटर में 844 रूपये प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत अनुदान राशि आधार भुत ढांचे के निर्माण उपरांत अनुदान देय है।

(ब). **शेडनेट हाउस** :– केन्द्र/राज्य पोषित योजनान्तर्गत शेडनेट हाउस के अन्दर सुरक्षित वातावरण में सब्जी एवं फूलों की खेती का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित है। उपयोग में योजना के प्रावधान अनुसार निर्धारित इकाई लागत राशि रूपये 710 प्रति वर्ग मीटर अधिकतम 4000 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत अनुदान राशि निर्माण उपरांत देय है।

(स). **प्लास्टिक मल्चिंग** :– सब्जी एवं फलोद्यान में प्लास्टिक मल्चिंग हेतु निर्धारित इकाई लागत राशि 32000 का 50 प्रतिशत राशि रूपये 16000 प्रति हेक्टर अनुदान का प्रावधान है।

5. **यंत्रीकरण** : – योजनान्तर्गत उद्यानिकी फसलों की खेती में कृषि लागत को कम करने तथा आधुनिक नवीन तकनीकी आधारित खेती हेतु आवश्यक कृषि यंत्र जैसे 20 अश्व शक्ति से कम का ट्रेक्टर विथ रोटावेटर, प्याज, आलू, लहसुन, प्लान्टर, एवं डिगर मल्च लेयंग मशीन पोस्ट होल्ड डिगर, स्प्रेयर, पावर टिलर, पावर वीडर, आदि उपयोगी उपकरणों पर निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित राशि अनुदान के रूप में देय है।

6. **प्याज भण्डार गृह** :– कृषको द्वारा उत्पादित प्याज को स्वयं के स्तर पर भण्डारित कर रखने के उद्देश्य से 25 टन की क्षमता के प्याज भण्डार गृह के निर्माण पर निर्धारित इकाई लागत 1.75 लाख का 50 प्रतिशत राशि रूपये 87500/– एवं 50 टन हेतु निर्धारित इकाई लागत 3.50 लाख की 50 प्रतिशत राशि रूपये 175000/– अनुदान के रूप में निर्माण उपरांत कृषक के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

7. **वर्मीकम्पोस्ट** :– उद्यानिकी फसलों की खेती में जैविक खाद के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्य से 30x8x2.5 मीटर लम्बाई, चौडाई, गहराई के पक्के निर्मित वर्मीकम्पोस्ट इकाई पर राशि रूपये 50000/– अनुदान के रूप में निर्माण उपरांत कृषक के बैंक खाते में जमा की जाती है।

योजनान्तर्गत जिले को आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में से प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर स्वीकृत जारी कर निर्माण हेतु अनुमति जारी की जाती है।

8. फसलोत्तर प्रबंधन :– योजनान्तर्गत परियोजना आधारित वैक एन्डेड कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर, कोल्ड रूम, शीत वाहन, कोल्ड चैन, पैक हाउस, के निर्माण पर भी 50 प्रतिशत तक अनुदान निर्धारित इकाई लागत तक देय है।

9 औषधीय पौधा मिशन :– योजनान्तर्गत प्रति कृषक गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन देने वाली औषधीय फसलों के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित है। योजना के लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान तुलसी हेतु राशि रूपये 13177, अश्वगंधा हेतु राशि रूपये 10980, एवं कालमेघ की खेती हेतु राशि रूपये 10980 रूपये अनुदान देय है।

10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– प्रधानमंत्री कृषि सिचाई के घटक Per drop More Crop के तहत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना पर प्रति हितग्राही अधिकतम 5.00 हेक्टर तक निर्धारित इकाई लागत पर 55–65 प्रतिशत तक अनुदान देय है।

नोट :– (1) विभाग की समस्त योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ लेने के लिये विभागीय पोर्टल **MPFSTS** पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदनों में से प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर स्वीकृत जारी कर योजना का लाभ दिया जाना प्रावधानित है। पंजीयन कराने के लिए आधार नम्बर दर्ज करवाना अनिवार्य है।

(2) विभागीय योजनाओं में अनुदान प्रदाय करने के पूर्व भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।

(3) उपरोक्त सभी योजनाओं में नियमानुसार हितग्राही के द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर अनुदान दिया जाना प्रावधनित है।

उप संचालक उद्यान
जिला रतलाम म०प्र०

Attested

Dy. Director
For Director of Horticulture
BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग